FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सरकार बनाम संदीप शर्मा मैसर्स राजेश स्वीट्स सेटर रा0मंडी

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र **मिसल नम्बर :— 16/2025**

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.1.2026	पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना का न्यायोचित निर्णय किये जाने बाबत् अनुरोध करते हुए भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं किये जाने बाबत् न्यायालय को आश्वत् किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) मिल्क केक (दूध व शक्कर से निर्मित) विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अत श्री संदीप शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी बाजार न. 2 रामगंजमण्डी,जिला कोटा राज0 मैसर्स— राजेश स्वीस्ट्स सेंटर बाजार न.2 रामगंजमण्डी जिला कोटा पर 15,000/— रूपये (अक्षरे प्रन्द्रह हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **अरूण सक्सेना** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अति0 जिला कलेक्टर कोटा	केशियर कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा